

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क०नि०-2-1111/ ग्यारह-9 (47)/17-उ०प्र०अधि० 2017 -आदेश-(35)-2017
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गज़ट में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(अ) हिन्दी पाठ में, --

अनुसूची-एक-2.5% में,-

- (i) क्रम सं० 59 में, स्तंभ(3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये ;
- (ii) क्रम सं० 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये ;
- (iii) क्रम सं० 92 में,-
 - क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;
 - ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताशा, बूरा" पढ़ा जाये;
- (iv) क्रम सं० 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान " पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं० 220 में, स्तंभ (3) में,-
 - क) "सैमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये;
 - ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये;
 - ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;
- (vi) क्रम सं० 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें "ज) फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोड्यूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नहीं";

(ख) अनुसूची-दो-6% में,-

- (i) क्रम सं० 14 में, स्तंभ (3) में ' कवच युक्त या छिलका रहित हो या नहीं', के पश्चात, स्थापित करें "और शुष्क नारियल";

- (ii) क्रम सं0 16 में, स्तंभ(3) में "छुआरा" के स्थान पर " छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये ;
- (iii) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्याक 1(च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1(छ)", पढ़ा जाये ;
- (iv) क्रम सं0 74 में, स्तंभ (2) में "3302" के स्थान पर "3301" पढ़ा जाये ;
- (v) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3) में "शीर्ष सं. 9208" के स्थान पर "शीर्षक 9208 या 9705" पढ़ा जाये ;

(ग) अनुसूची-तीन-9% में,-

- (i) क्रम सं0 55 में, स्तंभ (3) में "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही" के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 133 में, स्तंभ (3) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" के स्थान पर " कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 233 में, स्तंभ (3) में "सिलाई की सुइयां" का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं0 247 में, स्तंभ (3) में '0.12.5 मिलीमीटर" के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर" पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं0 323 में, स्तंभ (2) में "8522 90" के स्थान पर "8422 90" पढ़ा जाये;
- (vi) क्रम सं0 395 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर 'प्रकाशीय फाइबर केबल" पढ़ा जाये;
- (vii) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3) में "और अन्य लेखनी" का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची-चार-14% में,-

- (i) क्रम सं0 158 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर केबल्स" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 215 में, स्तंभ (3) में 'विडियो गेम कंसोलस और मशीने" के स्थान पर 'विडियो गेम्स कंसोल्स और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला बिलियार्ड (9504 20

00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोटस, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" पढ़ा जाये ।

(ब) अंग्रेजी पाठ में,-

(A) In Schedule I-2.5%,-

(i) in S. No.59, in column (3), for "1106 10 90", read "0713";

(ii) in S. No.61, in column (2), for "1106 10 90", read "0713";

(iii) in S.No.92,-

(a) in column (2), for "1702", read "1702 or 1704";

(b) in column (3), for "Palmyra sugar", read "Palmyra sugar, mishri, batasha, bura";

(iv) in S.No.185, in column (3), for "Agarbatti", read "Agarbatti, lobhan";

(v) in S. No. 220, in column (3),-

(a) for "saima", read "salma";

(b) for "gotasitara", read "gota, sitara";

(c) for "glzal", read "gizai";

(vi) in S. No. 234, in column (3), after entry (g), insert "(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels";

(B) In Schedule II-6%,-

(i) in S.No.14, in column (3), after "shelled or peeled", insert "and desiccated coconuts";

(ii) in S.No.16, in column (3), for "Dates", read "Dates (soft or hard)";

(iii) in S.No.56, in column (3), for "serial number 1(f)", read "serial number 1(g)";

(iv) in S.No.74, in column (2), for "3302", read "3301";

(v) in S.No.231, in column (3), for "heading 9208", read "heading 9208 or 9705";

(C) In Schedule III-9%,-

(i) in S. No. 55, in column (3), for "(Fountain pen ink and Ball pen ink)", read "(other than Fountain pen ink and Ball pen ink)";

(ii) in S. No. 133, in column (3), for "Artificial fur and articles thereof", read "Artificial fur other than articles thereof";

- (iii) in S. No. 233, in column (3), omit "Sewing needles";
- (iv) in S. No. 247, in column (3), for "0.12.5 mm", read "0.15 mm";
- (v) in S.No.323, in column (2), for "8522 90", read "8422 90";
- (vi) in S. No. 395, in column (3), for "Optical Fiber", read "Optical Fibre Cable";
- (vii) in S. No. 447, in column (3), omit "and other pens";

(D) In Schedule-IV-14%-

- (i) in S. No. 158, in column (3), for "optical fibres optical fibres, bundles or cables", read "optical fibres, optical fibre bundles or cables";
- (ii) in S. No. 161, in column (3), for "Optical Fiber", read "Optical Fibre Cables";
- (iii) in S.No.215, in column (3), for "Video games consoles and Machines", read "Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, i.e., casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]".

आज्ञा से,



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

